

252

656

11/3/19

मध्यप्रदेश शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक २७२/३६३/१९/२३/२१),
प्रति,

भोपाल, दिनांक २३ फरवरी, २०१९

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
भोपाल

विषय: बैचलर आफ सोशल वर्क उपाधि को मान्यता एवं विभागों के भर्ती नियमों में शामिल करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक २१ फरवरी, २०१९ को म.प्र. जन अभियान परिषद की कार्यकारिणी सभी की बारहवीं बैठक के संलग्न कार्यवाही विवरण का अवलोकन करें।

2. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम अंतर्गत तीन शैक्षणिक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर अभ्यर्थी को समाज कार्य में स्नातक की उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है।

3. बैचलर आफ सोशल वर्क की उपाधिधारी अभ्यर्थियों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों में रोजगार/सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों के भर्ती नियमों की अहताओं में बैचलर आफ सोशल वर्क को भी सम्मिलित किया जाए।

उपरोक्तानुसार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।

(अनिल कुमार ज्ञा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पृ.क्रमांक २७२/३६३/१९/२३/२१)।
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक २३ फरवरी, २०१९

✓ कार्यपालक निदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Tm (CM(LDP))

B.M.
11/3/19

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग